राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 7 (1) (7)/राछा/सान्याअवि/14/ 38805 जयपुर, दिनांक 25/07/2014

आदेश

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 5 एवं 6 के अन्तर्गत राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं छात्रावास में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया एवं पात्रता में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

नियम (5) राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान

2. छात्रावास में आरक्षण की स्थिति

क्र.सं.	छात्रावास का वर्गीकरण	प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति वर्ग	• 60% अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार (स्वच्छकारों को प्राथमिकता) • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
2	अनुसूचित जनजाति वर्ग	• 60% अनुसूचित जनजाति • 10% अनुसूचित जाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
3	अन्य पिछडा वर्ग	• 60% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
4	स्वच्छकार वर्ग	• 60% अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार (स्वच्छकारों को प्राथमिकता) • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
5	देवनारायण छात्रावास	• 60% विशेष पिछडा वर्ग • 15% अन्य पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 5% अनुसूचित जनजाति • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग

उपरोक्त वर्गों के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित स्थानों में से 3 प्रतिशत स्थान विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित होगें।

नियम (6) छात्रावासों में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया एवं निर्धारित समयावधि

1. छात्रावास में प्रवेश हेतु पात्रता

i- छात्रावासों में नियम 5 में आरक्षित प्रतिशत संख्या तक उस वर्ग के छात्र-छात्राओं को निम्न प्राथमिकता में प्रवेश दिया जायेगा :-सर्वप्रथम अनाथ बालक तत्पश्चात विधवा, विशेष योग्यजन एवं बी.पी.एल. परिवारों के पात्र पुत्र-पुत्रियां अर्थात छात्रावासों में जिन अनाथ बालकों, विधवा, विशेष योग्यजन एवं बी.पी.एल. परिवारों के पात्र पुत्र-पुत्रियों ने आवेदन किया है, को वरीयतानुसार प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ii- 31 जुलाई के पश्चात् क्रम संख्या 1 में वर्णित पात्रता वाले छात्र–छात्रायें उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप छात्रावास में रहे रिक्त स्थानों में उसी आरक्षित वर्ग के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये की सीमा तक हो, के पुत्र–पुत्रियों को वरीयतानुसार प्रतिवर्ष 20 अगस्त तक प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

iii- 20 अगस्त के पश्चात् क्रम संख्या 1 व 2 में अंकित संबंधित आरक्षित वर्ग की प्रतिशत संख्या तक पात्र छात्र–छात्राओं के उपलब्धतता नहीं होने के उपरान्त अन्य वर्ग के क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग के वंचित अनाथ बच्चे, विधवा, विशेष योग्यजन एवं बी.पी.एल. परिवारों के पात्र पुत्र–पुत्रियां अर्थात छात्रावासों में जिन अनाथ बालकों, विधवा, विशेष योग्यजन एवं बी.पी.एल. परिवारों के पात्र पुत्र–पुत्रियों एवं ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये की सीमा तक हो, के पुत्र–पुत्रियों को पात्रता के अनुसार प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

iv- गत कक्षा में न्यूनतम 50 या 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रायें छात्रावास में प्रवेश हेतु पात्र होगें अर्थात् 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

v- छात्रावास में पूर्व प्रवेशित छात्र–छात्राओं को गत कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए जाने पर ही छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा। यदि छात्रावासी छात्र–छात्राओं द्वारा 50 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होने पर रिक्त स्थान होने पर नवीन छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

नियम 6 में उल्लेखित छात्रावास में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया 1. छात्रावास प्रवेश हेतु पात्रता की शेष शर्ते एवं प्रक्रिया यथावत रहेगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(नवीन महाजन)
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक :एफ 7 (1) (7)/राछा/सान्याअवि/14/38806-972 जयपुर, दिनांक 25/07/14
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग, जयपुर
4. जिला कलेक्टर (समस्त)
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. प्रभारी अधिकारी (समस्त) आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (समस्त) को पालनार्थ।
10. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यावास को प्रचार–प्रसार हेतु।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे विभागीय बेवसाइड पर उपलब्ध राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के क्रम में उक्त संशोधित नियम को अपडेट करवाने एवं उपरोक्त अधिकारियों को जरिये ई–मेल सूचित की व्यवस्था करावें।

25.07.14

(डा. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु. जाति/जनजाति)